

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पत्तनगर फार्म पोस्ट-हल्दी जिला-कुधम सिंह नगर, पिन-263146

पत्रांक फार्म/क्र०वि०/म०म०प्र०/ 1791

दिनांक 23.06.2022

अत्यकालीन निविदा-सूचना

	कार्य का विवरण	निविदा क्रय की तिथि	निविदा जमा की अन्तिम तिथि
1.	विश्वविद्यालय फार्म के बेनी प्रक्षेत्र के 'एन' खण्ड में स्थित मछली के तालाब को तीन वर्ष (दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2025 तक) की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिये जाने हेतु	24.06.2022 से 04.07.2022 तक	05.07.2022 अपराह्न 1.00 बजे तक

उपरोक्त कार्य करने हेतु इच्छुक निविदादाता इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्य दिवसों पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा शुल्क जमा करने के उपरान्त अत्यकालीन निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.gbpuat.ac.in पर उपलब्ध अत्यकालीन निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्रयोग की जा सकती हैं। अत्यकालीन निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 1000+18% जी0एस0टी० सहित कुल ₹ 1180.00 बँक ड्राफ्ट के साथ जो गो0ब०पन्त क० एवं प्रौ० विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम देय हो, संलग्न करने पर निविदायें कैद मानी जायेंगी।

मुख्य महाप्रबन्धक, (फार्म) २३/६/२२
दूरभाष-05944-230243, 230245

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फार्म

पन्तनगर फार्म पोस्ट-हल्डी

जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन-263145

विश्वविद्यालय फार्म के एन खण्ड पूर्वी प्रक्षेत्र बेनी में स्थित मछली के तालाब को तीन वर्ष (दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2025 तक) की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर दिये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा।

अल्पकालीन निविदा-प्रपत्र

निविदा संख्या.....

निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय

निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय

निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय

निविदा खोलने की तिथि व समय

: निविदा शुल्क ₹ 1000.00 प्रति निविदा+ जी0एस0टी0

: दिनांक 24.06.2022 पूर्वान्ह 10.00 बजे से

: दिनांक 04.07.2022 साय 4.00 बजे तक

: दिनांक 05.07.2022 को अपरान्ह 1.00 बजे तक

: दिनांक 05.07.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे

क्र0सं0	विवरण	क्षेत्रफल है0	लाइसेंस शुल्क की अवधि	धनराशि
1	एन खण्ड, पूर्वी प्रक्षेत्र, बेनी में स्थित मछली के तालाब को दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2025 तक की अवधि के लिये लाइसेंस शुल्क पर दिया जाना	2.00	01.07.2022 से 30.06.2025	अंको में ₹ शब्दो में ₹

मैंने अल्पकालीन निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य हैं। धरोहर धनराशि ₹

बैंक छापट सं0.....दिनांक.....के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

रसीद सं0.....

निविदाता के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

धनराशि ₹

ग्राम व पो0.....

तह0.....जनपद.....

पिन.....दूरभाष.....

आधार नं0

पैन नं0मो0 नं0.....

(१) २३/६/२२

अल्पकालीन निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म के 'एन' खण्ड, बेनी स्थित 2.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में अवस्थित मछली तालाब को शुल्क पर दिये जाने हेतु

अल्पकालीन निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को अल्पकालीन निविदायें दिनांक 05.07.2022 को अपराह्न 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी, जो दिनांक 05.07.2022 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदादताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी।
2. प्रत्येक निविदादाता द्वारा अल्पकालीन निविदा के साथ ₹ 50,000.00 की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट, सवाधि जमा पत्र के साथ देय होगी। उक्त धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट विश्वविद्यालय फार्म, गो०ब० पत्त क०० एवं० प्र०० विश्वविद्यालय के नाम से भूरतीय स्टेट बैंक हल्दी/पन्तनगर यूको बैंक, हल्दी/पन्तनगर/नैनीताल बैंक, नगला में जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर निविदा में अधिकतम दरें प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम दरदाता द्वारा यदि निविदा वापस ली जाती है तो ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. ठेके की सम्पूर्ण धनराशि को 02 किस्तों में जमा करनी होगी, प्रथम किश्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) का भुगतान स्वीकृति पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर करनी होगी एवं इसके साथ ही एक वर्ष छः माह बाद की द्वितीय किश्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) का पी०डी०सी० चैक (पोस्ट डेटेड चैक) भी जमा कराना होगा।
4. यदि लाइसेंस शुल्कदाता द्वारा अपरिहार्य परिस्थितिवश किश्त का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो प्रारम्भ के 06 माह तक 1.5 प्रतिशत् प्रतिमाह की दर से एवं उसके उपरान्त 2.00 प्रतिशत् प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। किश्तों की देय विलम्ब शुल्क आगामी किश्त की धनराशि के साथ जमा कराना आवश्यक होगा।
5. उक्त किश्तों की धनराशि के समय पर भुगतान हेतु पी०डी०सी० चैक (पोस्ट डेटेड चैक) निविदादाता द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पी०डी०सी० चैक किसी भी कारण से बाउन्स होने पर निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा निविदादाता के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी, इसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। किश्त की धनराशि का भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक अथवा आर०टी०जी०एस० अथवा एन०इ०एफ०टी० के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। किसी भी दशा में नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि लाइसेंस शुल्कदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक किश्तों की धनराशि किसी भी कारणवश जमा नहीं कराये जाने की दशा में कुलपति, गो०ब० पत्त क०० एवं० प्र०० विश्वविद्यालय, पन्तनगर का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
6. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
7. तालाब की निविदा की अवधि दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2025 तक की होगी। अनुबन्ध, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रपत्र निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र पर भी अवगत कराया जायेगा।
8. सम्बन्धित ठेकेदार को तालाब में पानी भरने के लिये डीज़ल पम्प/विद्युत पम्प की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
9. मछली तालाब की सुरक्षा ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में विश्वविद्यालय फार्म उत्तरदायी नहीं होगा।
10. सम्बन्धित ठेकेदार को अपने खर्च पर ₹ 100.00 नौनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा तथा दोनों पक्षों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के पश्चात् किये गये अनुबन्ध को निविदादाता द्वारा पंजीकृत कराया जाना होगा।
11. अनुबन्ध को निविदादाता द्वारा पंजीकृत कराये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् पंजीकृत अनुबन्ध विश्वविद्यालय फार्म को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित तालाब मछली पालन हेतु आपको दिये हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
12. तालाब की मछली बिक्री पर यदि किसी भी प्रकार का कर यथा—जी०एस०टी०, स्टॉम्प ड्यूटी, ई०एस०आई०सी० अथवा अन्य किसी प्रकार का टैक्ट जो नियमानुसार देय होगा वह उच्चतम् निविदादाता द्वारा ही स्वयं जमा कराया जाना होगा।
13. किसी भी अल्पकालीन निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। इसके साथ ही सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा अथवा अनुबन्ध को बिना किसी कारण बिना किसी पूर्व सूचना दिये हुये निरस्त किये जाने का भी अधिकार कुलपति, गो०ब० पत्त क०० एवं० प्र०० विश्वविद्यालय, पन्तनगर का होगा, जिसे दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। उक्त समस्त शर्तों का कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में अल्पकालीन निविदा निरस्त माना जायेगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 13 तक) पढ़ ली गयी हैं तथा वह मान्य है।

अल्पकालीन निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर